

an>

Title: Regarding production of Fifth Generation Fighter Aircraft Project at Hindustan Aeronautics Limited unit at Ojhar, Maharashtra.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी): नियम 377 के माध्यम से सरकार को सूचित करना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के पास 1964 में एम.आई.जी.-21 एफ.एल. एयरक्राफ्ट और के.-13 मिसाइल्स के निर्माण करने के लिए एच.ए.एल. का एक एयरक्राफ्ट डिवीजन ओजहर में स्थापित किया गया था, जिसमें 6000 के करीब प्रशिक्षित कुशल कर्मी कार्य रत हैं। एयरक्राफ्ट डिवीजन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जिसमें अरबों रुपए का निवेश किया गया है। इस डिवीजन में लड़ाकू विमानों के कल पुर्जों का निर्माण होता है और उन कल पुर्जों का निर्यात मिस्र, वियतनाम, मलेशिया, अल्जीरिया और पोलैण्ड को किया जाता है। विमानों की मरम्मत का कार्य भी किया जाता है। इस डिवीजन में एस.यू.-30 एम.के.आई. एयरक्राफ्ट का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसको विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। एच.ए.एल. ओजहर के एयरक्राफ्ट डिवीजन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने एवं अन्य लड़ाकू विमानों के निर्माण करने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए एफ.जी.एफ.ए. प्रोजेक्ट को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इससे हम एच.ए.एल. की उत्पादन क्षमता का सदुपयोग कर सकते हैं और युद्ध के लिए सदैव तैयार रह सकते हैं।

सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी में स्थित एच.ए.एल. की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु एफ.जी.एफ.ए. प्रोजेक्ट पर विचार किया जाना चाहिए।